राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3918 / 2022

रमेश चन्द माली

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला करौली।
4. श्री मुकेश सिंह रावत, आयुर्वेद नर्स / कम्पाउण्डर, वर्तमान पदस्थापन अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, सेंगरपुरा, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	01.09.2022
आदेश की दिनांक	:	11.10.2022

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण पोसवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सेंगरपुरा, करौली से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, जौला, टोंक में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत विकलांग है एवं उसकी नियुक्ति भी विकलांग श्रेणी में हुई थी। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने के आशय से किया गया है, जबकि अपीलार्थी की पत्नी भी विकलांग है। अतः

उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के संबंध में निरस्त किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसमें उन्होंने अपने अभिवचनों की पुनरावृति की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आयुर्वेद नर्स/कम्पाउंडर के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेद औषधालय जौला, टोंक में किया गया है, जबकि अपीलार्थी 40 दिव्यांग है व उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से 160 कि.मी. दूर किया गया। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 15 दिवस की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R